

## अनुमत पुस्तकें :

1. मूल नियमों एवं पूरक नियमों का संकलन, भाग-I तथा II
2. केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1944
3. केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972
4. परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम
5. केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972
6. छुट्टी यात्रा रियायत नियम
7. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960
8. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम 1980
9. सीसीएस (पुनः नियोजित पेंशन भोगियों के वेतन का निर्धारण) आदेश 1986
10. संशोधित वेतन नियमावली 2016

## उपलब्ध कराए जाने वाले फार्म :

- (1) यात्रा भत्ता बिल फार्म (द्वारे पर)।
2. छुट्टी खाता फार्म।

## टिप्पणियां :

- (1) इस प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न और 2 पृष्ठ हैं।
- (2) प्रश्न संख्या 2 और 4 अनिवार्य हैं। बाकी प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों को हल कीजिए।
- (3) परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नों के स्पष्ट और सटीक उत्तर दें और नियमों के संबंधित प्रावधानों (जहां लागू हों) का उल्लेख करें। ऐसा न करने पर कुछ अंक काटे जाएंगे।
- (4) परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका में दिए गए स्थान पर इस प्रश्न पत्र के पुस्तिका की कोड संख्या लिखनी चाहिए।
- (5) उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ में दी गई सारणी में उत्तर पुस्तिका के उन पृष्ठ संख्या का उल्लेख कीजिए जिसमें प्रत्येक प्रश्न अथवा उनके भाग का उत्तर दिया गया हो।
- (6) प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग-अलग प्रकार के पेन/स्याही का प्रयोग न करें। ऐसा करने पर उत्तर पुस्तिका अमान्य हो जाएगी।
- (7) उत्तर पुस्तिका में छोड़े गए किसी भी/सभी खाली जगहों को या खाली पन्नों को रेखा खींचकर काट दीजिए।
- (8) हिन्दी और अंग्रेजी पाठ में कोई अंतर होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को सही माना जाएगा।
- (9) इस प्रश्न पत्र के साथ प्रदान किए गए यात्रा भत्ता फार्म और छुट्टी खाता फार्म को उत्तर पुस्तिका के साथ अवश्य संलग्न करके वापस करें।

1. वेतन स्तर 8 में ₹56,900 का वेतन पाने वाला एक सरकारी कर्मचारी को 1.8.2016 से वेतन स्तर 9 में उच्च पद में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया। इन्हें 1.10.2017 से निम्न पद में प्रत्यावर्तन किया गया। इन्हें 1.4.2018 को फिर से समान उच्च पद पर समान वेतन स्तर 9 में पदोन्नत किया गया। 1.4.2018 को इनके वेतन को निर्धारित करें एवं ये बताएं वह अपना अगला वेतन वृद्धि कब प्राप्त करेंगे। [10 अंक]

2. निम्नलिखित विवरण से श्री 'क' के अधिवर्षिता पेंशन, सेवानिवृत्त उपदान, पेंशन के संशोधित मूल्य और परिवार पेंशन का गणना करें : [20 अंक]

- |                             |   |           |
|-----------------------------|---|-----------|
| (i) जन्म तिथि               | : | 1.2.1958  |
| (ii) सेवा में आने की तिथि   | : | 20.5.1982 |
| (iii) स्थायीकरण की तिथि     | : | 1.4.1984  |
| (iv) निम्नलिखित छुट्टी ली : |   |           |

निजी कार्य के लिए असाधारण छुट्टी 190 दिन

चिकित्सा प्रमाण पत्र पर असाधारण छुट्टी 50 दिन

निजी कार्य के लिए अर्द्धवेतन छुट्टी 60 दिन

1.9.2017 से 30.9.2017 तक परिवर्तित छुट्टी

- (v) दिनांक 26.11.1989 से 10.12.1989 तक के अकार्य दिवस। सक्षम अधिकारी द्वारा सेवा में व्यवधान को माफ कर दिया गया।

- (vi) पे मेट्रिक्स के स्तर 13 में 1.1.2017 से मूल वेतन ₹1,26,800 डीएनआई 1.7.2017
- (vii) 1.1.2018 से 9% महंगाई भत्ता
- (viii) 31.1.2018 तक प्रति महिना ₹1,000 का विशेष भत्ता।
3. (क) जीपीएफ का अंशदान कब रोका जा सकता है? [ 5 अंक ]  
 (ख) लापता कर्मचारियों के मामले में जीपीएफ के राशि के अंतिम भुगतान के लिए क्या प्रक्रिया है? [ 5 अंक ]
4. 1.4.2019 (पूर्वाह्न से) किसी अधिकारी के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर उनके खाते के अर्जित छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी की गणना करें जिसका सेवा विवरण नीचे दिया गया है। (आपूर्ति किए गए छुट्टी खाते का फॉर्म का उपयोग करें। दिए गए फॉर्म में छुट्टी खाते को सही ढंग से तैयार करने के लिए अलग अंक दिए जाएंगे)। [ 15 अंक ]
- (i) जन्म : 7.7.1959  
 (ii) सेवा आरम्भ की तिथि : 28.10.1977  
 (iii) 1.1.2011 को जमा छुट्टी, निम्न प्रकार है :  
 (क) अर्जित छुट्टी 170 दिन  
 (ख) अर्द्ध वेतन छुट्टी 110 दिन  
 (iv) 1.3.2009 से 28.2.2010 तक भारत में अन्य सेवा (foreign service) में थे।  
 (v) वह निम्नलिखित अवधि के लिए छुट्टी पर थे :  
 (क) 10.2.2011 से 19.2.2011 तक असाधारण छुट्टी  
 (ख) 23.12.2011 से 18 दिनों के लिए अर्जित छुट्टी  
 (vi) 11.1.2012 से दूर-दराज के स्थान पर स्थानांतरण होने पर, 15 दिन के बदले केवल 10 दिन का ही कार्यग्रहण अवधि ली।
5. (क) जब पति-पत्नी दोनों केन्द्र सरकार के कर्मचारी हों तब एलटीसी के लिए पात्रता का मापदंड क्या है? [ 5 अंक ]  
 (ख) किडनी दाता के लिए यात्रा खर्चों की प्रतिपूर्ति की दर क्या है? [ 5 अंक ]
6. नीचे दिए गए विवरण से, एक केन्द्र सरकार अधिकारी, जिनका वेतन स्तर 14 है और मुख्यालय नई दिल्ली है को दौरे का यात्रा भत्ता गणना करें। (आपूर्ति किए गए यात्रा भत्ते का फॉर्म का उपयोग करें। दिए गए फॉर्म में यात्रा भत्ते को सही ढंग से गणना करने के लिए अलग अंक दिए जाएंगे)। [ 10 अंक ]
- (i) 1.11.2017 को सुबह 10.00 बजे घर से प्रस्थान किया और टेक्सी द्वारा 11.00 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। उनके आवास से रेलवे स्टेशन तक की दूरी 10 किमी. है। टेक्सी का दर ₹16/- किमी. है। सुबह 11.30 बजे उन्होंने स्टेशन छोड़ा।  
 (ii) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी ट्रेन द्वारा अहमदाबाद तक यात्रा की। किराया ₹3,250. 2.11.2017 को सुबह 9 बजे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा।  
 (iii) रेलवे स्टेशन से ज्यूटी स्थान तक और वापस की यात्रा सरकारी कार से किया गया। अहमदाबाद में 25 किमी. की स्थानीय यात्रा एसी टेक्सी से सड़क मार्ग ₹25/- किमी. की दर से की।  
 (iv) ₹3,000 प्रति दिन के हिसाब से अहमदाबाद में विभागीय अतिथि गृह में ठहरे। एक मुश्त राशि ₹1,200.  
 (v) 4.11.2017 को सुबह 9.30 बजे अहमदाबाद से प्रस्थान। 4.11.2017 को शाम 3.00 बजे मुम्बई रेलवे स्टेशन में आगमन। वातानुकूलित प्रथम श्रेणी से यात्र की। किराया ₹2,000.  
 (vi) मुम्बई में अतिथि गृह में ₹6,000 प्रतिदिन के हिसाब से 3 दिन ठहरे। अतिथि गृह में शाम 4.00 बजे पहुँचे और वहाँ से दिनांक 7.11.2017 को सुबह 5.00 बजे प्रस्थान।  
 (vii) मुम्बई में सभी सड़क यात्रा स्टॉफ कार से की गई।  
 (viii) 7.11.2017 को सुबह 10.00 बजे मुम्बई एयरपोर्ट से प्रस्थान। 7.11.2017 को दोपहर 1.30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर आगमन, हवाई किराया ₹12,000.  
 (ix) दिल्ली एयरपोर्ट से आवास तक (20 किमी. की दूरी) यात्रा टेक्सी द्वारा की गई। दिल्ली में एयरपोर्ट से ज्यूटी प्वाइंट, की दूरी 15 किमी. ₹20/- की दर से।  
 (x) भोजन प्रभार की प्रतिपूर्ति एकमुश्त राशि के तौर पर किया।  
 (xi) ₹50,000 की यात्रा भत्ता अग्रिम आहरित किया था।

Time Allowed : 2 Hours

Maximum Marks : 65

**Books allowed :**

1. Compilation of FRs and SRs Part I and II.
2. Central Service (Medical Attendance) Rules 1944.
3. Central Civil Services (Pension) Rules 1972.
4. Defined Contributory Pension Scheme.
5. Central Civil Services (Leave) Rules 1972.
6. Leave Travel Concession Rules.
7. General Provident Fund (CS) Rules 1960.
8. Central Government Employee Group Insurance Scheme 1980.
9. CCS (Fixation of Pay of Re-employed Pensioners) Orders, 1986.
10. Revised Pay Rules 2016.

**Forms to be supplied:**

1. TA Bill Form (Tour).
2. Leave Account Form.

- Note :**
1. This question paper contains 2 pages and has 6 questions.
  2. **Question No.2 and 4** are compulsory. Attempt any **three questions** of the remaining questions.
  3. The candidates would be expected to answer in a clear and cogent manner. The examinee has to quote the authority in support of the answers (wherever applicable) failing which some marks will be deducted.
  4. Candidates should write the Booklet Code No. of this question paper on their answersheet in the space provided.
  5. In the table provided on the front cover page of the answer book, indicate the page number of the answer book where answer to each question or part thereof is written.
  6. **Do not use different pens/ink for answering questions. Doing so may render the answer script invalid.**
  7. Strike off all blank pages/space in the answer books.
  8. In case of variation between English & Hindi versions, English version will be treated as correct.
  9. TA Bill Form and Leave A/c. Form supplied along with this Question paper should be attached with the answer book without fail.

1. A Government servant drawing the pay of ₹56,900 in pay level 8 was appointed to officiate on a regular basis in a higher post in the pay level 9 from 1.8.2016. He was reverted to the lower post on 1.10.2017. He was again promoted to the same higher post in the same pay level 9 on 1.4.2018. Fix his pay on 1.4.2018 and state when he will draw his next increment. [ 10 marks]
2. Calculate the superannuation pension, retirement gratuity, commuted value of pension and family pension of Mr. K. from the following particulars: [ 20 marks]
  - (i) Date of birth : 1.2.1958
  - (ii) Date of joining service : 20.5.1982
  - (iii) Date of confirmation : 1.4.1984
  - (iv) Availed the following spells of leave:

EOL on private affairs	190 days
EOL on medical certificate	50 days
HPL on private affairs	60 days
Commutated leave from 1.9.2017 to 30.9.2017	
  - (v) Dies non from 26.11.1989 to 10.12.1989. The interruption was condoned by the competent authority.

- (vi) Basic Pay ₹1,26,800 in level 13 in the pay matrix with effect from 1.1.2017 with DNI on 1.7.2017.  
 (vii) Dearness allowance @ 9% from 1.1.2018.  
 (viii) Special allowance of ₹1,000 per month till 31.1.2018.
3. (a) When can subscription to GPF be suspended? [ 5 marks]  
 (b) What is the procedure for final payment of GPF balance in case of missing employees? [ 5 marks]
4. Calculate the earned leave and half pay leave at the credit of an officer on his voluntary retirement on 1.4.2019 (F/N), whose service particulars are given below : (Use the leave A/c. form supplied. Separate marks will be awarded for correctly preparing the leave A/c. in the given form) [ 15 marks]
- (i) Date of birth : 7.7.1959  
 (ii) Joined service on : 28.10.1977  
 (iii) Balance of leave at his credit on 1.1.2011, was as under:  
 (a) E.L. 170 days  
 (b) H.P.L. 110 days  
 (iv) He was on foreign service in India from 1.3.2009 to 28.2.2010.  
 (v) He was on leave for the following periods:  
 (a) EOL from 10.2.2011 to 19.2.2011.  
 (b) EL for 18 days from 23.12.2011.  
 (vi) On his transfer to a remote locality on 11.1.2012, he availed of only 10 days joining time against the admissible 15 days.
5. (a) What is the eligibility criterion for LTC when both husband and wife are Central Govt. Servants? [ 5 marks]  
 (b) What is the rate of travelling expenses reimbursible to a kidney donor? [ 5 marks]
6. From the particulars given below, calculate the T.A. on tour of a Central Govt. Officer who is at pay level of 14 and his HQ is New Delhi. (Use the TA form supplied. Separate marks will be awarded for correctly calculating the TA in the given form) [ 10 marks]
- (i) Departure from residence 10.00 AM on 1.11.2017. Travelled by taxi to New Delhi Railway Station reaching there at 11.00 AM. Distance between his residence and Railway Station is 10 km. Taxi rate ₹16/km. He left Station at 11.30 AM.  
 (ii) Travelled to Ahmedabad by Train-AC 1st Class. Fare ₹3,250. Arrival at Ahmedabad Railway Station at 9.00 AM on 2.11.2017.  
 (iii) Availed of Govt. car for journey from Railway Station to duty point and back to Railway Station. Local journeys by road at Ahmedabad 25 km. by AC Taxi @ ₹25/ km.  
 (iv) Stayed at Ahmedabad in a departmental Guest House at ₹3,000 per day. Lumpsum amount per day ₹1,200.  
 (v) Departure from Ahmedabad 9.30 AM on 4.11.2017. Arrival at Mumbai Railway Station at 3.00 PM on 4.11.2017. Travelled by AC 1st class. Fare ₹2,000.  
 (vi) Stayed at Mumbai in Guest House, charging full tariff at the rate of ₹6,000 per day for 3 days. Reached the Guest House at 4.00 PM and departed from there at 5.00 AM on 7.11.2017.  
 (vii) All road journeys in Mumbai were performed in staff car.  
 (viii) Departure from Mumbai Airport 10.00 AM on 7.11.2017. Arrival at Delhi Airport 1.30 PM on 7.11.2017, Air fare ₹12,000.  
 (ix) Journey from Delhi Airport to residence by taxi (distance 20 km). Distance from Airport to duty point at Delhi 15 km. Rate ₹20/km.  
 (x) Reimbursement of food charges was made as lumpsum amount.  
 (xi) Advance of TA drawn ₹50,000.